




रिपोर्ट - 697 ए/15 (रत्नापुर)

रेलवे

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभार आदि के हस्ताक्षर
17.4.15	<p>आवेदक श्री मोर से श्री के.के. द्विवेदी अग्नि उप.। भूल 5.5. R पा-11।। साथ मे. शवाभावे। मे. दि. 5.5.15</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	<p style="text-align: right;">म. ए. व. म. ए. 17.4.15 </p>
5.5.15	<p>अवकाश मंजूर न की जा विवेकी उपय भूल प्रमाण - R पा. 1. 11।। अमानत में दि. 20-5-15</p> <p style="text-align: right;">म. ए. व. दि. 20-5-15</p>	
20.5.15	<p>आवेदक श्री मोर से श्री के.के. द्विवेदी अग्नि उप.। उन्हें रेलवे रेशन आवेदन पर पुनः भ्रम। आवेदक अग्नि द्वारा रेलवे रेशन के संबंध में बहाल गये कारण सतोषजनक होने के कारण रेलवे रेशन आवेदन खिंचा करके उसे भूल प्रमाण 5.5 R पा-11।। उन: नमूदा पर सिपा जाता है। यह प्रमाण नस्तीवद होकर दायित्व रिपोर्ट में।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक

रेस्टो. 697-II-15

/2015 जिला-रतलाम

- 1- मोहम्मद खिजर मिर्जा तैमूरी पिता मिर्जा ख्वाजाउमर तैमूरी, जाति-मुसलमान
- 2- मुर्तजा नवाज पिता वलायतचारखॉ, जाति मुसलमान, निवासी मुगलपुरा, जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.)

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

द्वारा आज दि 4/4/15 को

प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
4/4/15

..... प्रार्थीगण

विरुद्ध

- 1- शेहजादबैग पिता मसीदजमा बैग, जाति मुसलमान
- 2- आजाद बैग पिता मसीदजमा बैग, जाति मुसलमान
- 3- नौशादबैग पिता मसीदजमा बैग, जाति मुसलमान
- 4- सलमाबी पिता मसीदजमा बैग, जाति मुसलमान
- 5- जूबैदाबी पिता मसीदजमा बैग, जाति मुसलमान
- 6- फेमीदाबी पिता मसीदजमा बैग, जाति मुसलमान
- 7- जाहेदाबी पिता मसीदजमा बैग, जाति मुसलमान
- 8- गरीयम बी स्व. पति मसीदजबैग, जाति मुसलमान सभी निवासीगण - मोहल्ला बरगुण्डापुरा, जावरा, जिला-रतलाम (म.प्र.)

..... प्रतिप्रार्थीगण

आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 32 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता। माननीय न्यायालय के पुनरीक्षण क्रमांक 471/दो/2011 पुनः स्थापित किये जाने बावत्।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से आवेदन सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

- 1- यहकि, प्रार्थीगण के पक्ष में हुये फौती नामान्तरण आदेश दिनांक 28.03.2002 के विरुद्ध बिना किसी अधिकार एवं स्वत्व के प्रतिप्रार्थीगण ने अनुविभागीय अधिकारी जावरा के समक्ष दिनांक 05.05.2002 को